उम्र का इससे क्या संबंध है?

भारत में विवाह की कानूनी उम्र बढ़ाए जाने पर हो रहे संवाद युवाओं, वकीलों, नीति–निर्माताओं, और अनुदानदाताओं के लिए क्यों महत्वपूर्ण हैं

वक्ता : कहकशा, *द वाई.पी. फाउंडेशन;* **मधू मेहरा,** *पार्टनर्स फॉर लॉ इन डेवलपमेंट;* **अर्चना द्विवेदी,** *निरंतर ट्रस्ट;* **शिप्रा झा,** *गर्ल्स नॉट ब्राइड्सः द ग्लोबल पार्टनरशिप टु एंड चाइल्ड मेरिज;* **सागर सचदेवा,** *द वाई.पी. फाउंडेशन;* **मरिसा वियना,** *रीसर्ज*

16 दिसंबर 2020 को हुए ऑनलाइन संवाद के प्रमुख संदेश

जून 2020 में भारत सरकार ने एक कार्य दल (वर्किंग ग्रुप) स्थापित किया जिसकी ज़िम्मेदारी थी लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र की समीक्षा करना। एक विचाराधीन प्रस्ताव है कि लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया जाए। इस प्रस्ताव पर व्यापक बहस और विचार करने के लिए एक ऊर्जावान लामबंदी हुई जिसमें विभिन्न स्तरों पर कार्यरत पैरोकार – महिला अधिकार, युवा अधिकार, और बाल अधिकार अधिवक्ता शामिल हैं – जो दर्शाता है कि इस प्रस्तावित परिवर्तन के संबंध में काफी चिंता और संदेह है।

लड़कियों के विवाह की उम्र बढ़ाने पर प्रतिरोध क्यों? भारत में नागरिक समाज की इस लामबंदी के ऐसे कौन से अनुभव हैं जो अन्य संदर्भों में काम करने वाले अधिवक्ताओं और निर्णय–निर्धारकों के लिए सीख का काम कर सकते हैं?

द चाइल्ड, अर्ली एण्ड फोर्स्ड मेरिज एण्ड सेक्शूऐलिटी वर्किंग ग्रुप ने इस ऑनलाइन संवाद का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय श्रोताओं के साथ किया क्योंकि भारत में उठाए जा रहे मुद्दे ऐसे मूल सवाल खड़े करते हैं कि जहां भी यह प्रथा प्रचलित है वहाँ बाल, जल्द एवं जबरन विवाह और संबंधों के लिए एक प्रभावकारी और अधिकार–आधारित प्रतिक्रिया कैसी दिखनी चाहिए। हम आशा करते हैं कि यह संवाद राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर बाल विवाह प्रतिक्रियाओं में शामिल विभिन्न साझेदारों के बीच गहन चिंतन और चर्चा को बढ़ावा देगा।

संवाद के प्रमुख संदेश नीचे दिए जा रहे हैं:

1. सरकार द्वारा दिए गए तर्कों में से एक यह है कि विवाह की न्यूनतम उम्र बढ़ाने से लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य बेहतर होगा, मातृ मृत्यु दर कम होगी और उनका पोषण बेहतर होगा। लेकिन **यदि लड़कियों के अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा में आने वाली वास्तविक बाधाओं को संबोधित नहीं किया जाता, तो विवाह की उम्र बढ़ाना एकपक्षीय कदम है।** ऐसी प्रणालियों और मूलभूत सेवाओं में *निवेश करना आवश्यक* है जो लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं, स्कूल, और आजीविकाओं तक पहुँच बनाने के लिए सशक्त करे, और साथ ही उन्हें विवाह संबंधित निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिले।

2. **जल्द एवं बाल विवाह अत्यंत पितृसत्तात्मक प्रथा है,** जिसमें केवल उम्र ही एकमात्र पहलू नहीं है। *युवाओं की यौनिकता को नियंत्रित रखने* के लिए विवाह संबंधित बाध्यताएँ बनाई और लागू की जाती हैं। भारत में, कानून, नियम, और मानदंड न केवल इस पर नियंत्रण रखते हैं कि लोग कब विवाह कर सकते हैं, बल्कि वे किस से विवाह करेंगे उस पर भी नियंत्रण रहता है – और जो जाति, वर्ग, या धर्म के बाहर विवाह करना चाहते हैं उन्हें कानूनी एवं सामाजिक परिणामों का सामना करना पड़ता है। कानूनी एवं सामाजिक नियंत्रणों को और कड़ा करते हुए, विवाह की उम्र बढ़ाना युवाओं को स्वतंत्रता और उनके जीवन को बेहतर बनाने के अवसर देना नहीं है – बल्कि यह इसके बिल्कुल विपरीत है।

3. मौजूदा कानून, जिनके अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र में विवाह करने पर रोक है, वे प्रभावकारी नहीं है, क्योंकि अभी भी भारत में हर वर्ष लाखों कम उम्र विवाह होते हैं। इसलिए उम्र बढ़ाना केवल लक्ष्य बदलने के समान है, इससे मूलभूत परिवर्तन नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त, *अध्ययन* दर्शाते हैं कि भारत में **बाल विवाह व उससे संबंधित कानूनों का उपयोग अधिकतर युवाओं को सज़ा देने के लिए किया जाता है, उनकी सुरक्षा के लिए नहीं।** इन कानूनों का उपयोग अक्सर माता–पिता अपनी बेटियों और उनके प्रेमियों के खिलाफ भाग कर शादी करने और/या ऐसे व्यक्ति से विवाह करने के लिए करते हैं जिनके चुनाव से माता–पिता असहमत होते हैं।

4. भारत में, *(जैसे कि अन्य देशों में भी हुआ है)*, **सहमति की उम्र को बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया है,** जिससे कि वह लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र के समान हो जाए। इसके परिणामस्वरूप 18 वर्ष से कम उम्र के युवाओं के सेक्स संबंध गैर–कानूनी बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त, भारत में सहमतिपूर्ण सेक्स संबंध बनाना *कानूनी रूप से बाल यौन शोषण माना जाता है,* यदि कम–से–कम एक सहभागी की उम्र 18 वर्ष से कम हो। इसका मतलब है कि यदि युवा युगल, विवाह के अंतर्गत या उससे बाहर, सहमतिपूर्ण सेक्स संबंध बनाते हैं, तो बॉयफ्रेंड या पति को 20 वर्ष तक की कैद हो सकती है। माता–पिता इस कानून का उपयोग उन रिश्तों को तोड़ने के लिए करते आए हैं, जिनसे वे असहमत होते हैं – जिसके कारण लड़कों को जेल हो जाती है और लड़कियाँ खराब हालत में चल रहे आश्रय घरों में पहुँचा दी जाती हैं। विवाह की न्यूनतम उम्र बढ़ाने से इस प्रकार के मुकदमों के लिए और ज़्यादा समय मिलेगा, विशेषकर यदि इसके साथ सहमति की उम्र नहीं बढ़ाई जाती। ऐसे कानून युवाओं को बुद्धिमंद बनाते हुए, उनकी यौनिकता को कलंकित और दंडित करते हैं, और उनके विवाह और संबंधों को गुप्तता में धकेल देते हैं।

5. मातृ मृत्यु दर को कम करने और युवाओं के अधिकारों को कायम रखने तथा उनकी माँगों का भारत व अन्य देशों में सम्मान करने के लिए, सरकारों को **सभी युवाओं के लिए यौनिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार (एस.आर.एच.आर.) जानकारी तथा सेवाओं** के कार्यक्षेत्र में निवेश करना ज़रूरी है। भारत में, जैसे कि कई अन्य जगहों पर भी होता है, युवाओं – विशेषकर अविवाहित लड़कियों – को एस.आर.एच.आर. सेवाएँ, जिसमें गर्भ निरोधन शामिल है, लेते समय समाज की नज़रों में कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। भारत में, डॉक्टरों को कानूनी आदेश दिया गया है कि वे कम उम्र सेक्स संबंधों को रिपोर्ट करें, जो युवाओं की इन सेवाओं तक पहुँच में और बाधाएँ डालता है।

6. *व्यापक यौनिकता शिक्षा* (सी.एस.ई.) **युवाओं के एस.आर.एच.आर. के लिए मूल है,** भारत में भी व अन्य जगहों पर भी। सी.एस.ई. में सेक्स संबंध बनाने और यौनिकता पर सही, पूर्ण, वैज्ञानिक जानकारी शामिल होती है, और यह जेंडर, सत्ता, पितृसत्ता, भेदभाव, और सहमति जैसे सामाजिक पहलुओं को संबोधित करते हुए, युवाओं को मदद करती है कि वे अपने रिश्तों के बारे में सूचित और सशक्त चुनाव कर सकें। सी.एस.ई. जेंडर और यौनिकता से संबंधित ऐसे सामाजिक मानदंडों को संबोधित करने के भी अवसर देती है जो कि जल्द एवं बाल विवाह को बनाए रखने में भूमिका निभाते हैं। सी.एस.ई. ऐसी जगह हो सकती है जहां *पुरुषों और लड़कों को* पितृसत्ता और जेंडर असमानता में उनकी भूमिका के विषय पर जोड़ते हुए, उनके साथ यह बात करने का मौका दे सकती है कि हानिकारक जेंडर मानदंडों को चुनौती देने में उनकी क्या भूमिका हो सकती है। विश्व भर की सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि सी.एस.ई. उपलब्ध कराई जाए और सभी युवाओं की उस तक पहुँच हो।

7. भारत में, अध्ययन दर्शाते हैं कि लड़कियाँ बाल विवाह के कारण स्कूल नहीं छोड़ रहीं, बल्कि वे स्कूल छोड़ती हैं तो उनका विवाह कर दिया जाता है क्योंकि स्कूली शिक्षा का स्तर बहुत खराब है जिसका आजीविकाओं से भी कोई जुड़ाव नहीं है। युवाओं के लिए 21 वर्ष की उम्र तक **गुणवत्तापूर्ण, निशुल्क, अनिवार्य, जेंडर–संवेदनशील शिक्षा,** कौशल विकास और व्यावसायिक अवसरों, जिसमें कानूनी एवं मानव अधिकारों पर शिक्षा शामिल हो, में निवेश करना अत्यंत ज़रूरी है।

8. भारत के युवाओं की मांग है कि उन्हें प्रभावित करने वाले कानून और नीतियाँ बनाते समय *उन्हें भी शामिल* किया जाना चाहिए। **चुनौतियों के समाधान के सुझाव देने में, उन चुनौतियों का व्यक्तिगत स्तर पर सामना करने वालों से बेहतर और कोई नहीं हो सकता।** सरकार (भारत व अन्य जगहों पर) के लिए ज़रूरी है कि वह नागरिक समाज की बात भी सुने, जिसमें ज़मीनी स्तर पर कार्यरत संस्थाएँ शामिल हैं जो उन समुदायों के साथ काम करती हैं जिन पर कानूनों के प्रभाव सबसे ज़्यादा होते हैं। अन्यथा ऐसे कानून बनते हैं जो युवाओं के जीवन की वास्तविकताओं से अलग होते हैं और उनका लाभ होने से ज़्यादा नुकसान होता है।

9. कानून ज़रूरी नहीं है कि ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन उन्हें अलग होना ज़रूरी है। अक्सर कानून राजकीय सत्ता को नागरिकों के ऊपर थोपने का काम करते हैं, जबकि इसका एकदम उल्टा होना चाहिए। **बाल विवाह कानूनों में लड़कियों के अधिकार केंद्र–बिन्दु होने चाहिए** और स्पष्ट होना चाहिए कि उनके अधिकारों को कायम रखने के लिए कौन बाध्य है, उन्हें किशोरों की विकासशील क्षमताओं का सम्मान करना चाहिए और उनकी यौनिकता की अभिव्यक्ती के अधिकार की सुरक्षा करनी चाहिए, जहां उन्हें किसी आपराधिक परिणाम का कोई डर न हो।

10. भारत में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा उठाए जा रहे मुद्दे भारत विशिष्ट नहीं हैं। विश्व भर में बाल, जल्द, जबरन विवाहों और संबंधों (सी.ई.एफ.एम.यू.) – व अन्य अधिकारों के उल्लंघनों, जैसे कि महिला जननांगच्छेदन और जेंडर–आधारित हिंसा – के लिए प्रतिक्रियाएं अक्सर इन जटिल मुद्दों के *मूल कारणों से जुदा होती हैं,* जो असल में जेंडर और यौनिक दर्जाबंदी और नियंत्रण आधारित गहरी पितृसत्तात्मक प्रथाएँ हैं। जब सी.ई.एफ.एम.यू. को सहारा देने वाले सामाजिक और आर्थिक पहलुओं तथा पितृसत्तात्मक प्रथाओं को प्रभावकारी तरीकों से संबोधित करने के बजाए, उम्र पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, तो किशोरों को सशक्त करने के लिए ज़रूरी जेंडर–परिवर्तनकारी प्रतिक्रियाओं तथा

शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविकाओं से संबंधित आवश्यक ढांचागत बदलावों से ध्यान एवं संसाधन हटा दिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, सी.ई.एफ.एम.यू. 18 वर्ष की उम्र से पहले, ऐसे देशों में हो रहा है जहां यह गैर–कानूनी है, कोई ठोस सबूत नहीं है कि कानून बाल विवाह कम करने में मदद करते हैं।

11. युवाओं की सुरक्षा का उद्देश्य रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय कानून, अनुबंध और रूपरेखाओं में मुख्य स्तर की कमियाँ रहती हैं। उदाहरण के लिए, **कई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों में युवाओं, बच्चों और किशोरों को एक ही श्रेणी में सम्मिलित कर दिया जाता है, और युवाओं की विकासशील क्षमताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता** (जैसा कि *कन्वेन्शन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड* में व्यक्त किया गया है)। 'बाल', 'जल्द' और 'जबरन' विवाह – इन शब्दों को एक–दूसरे के स्थान पर ऐसे लोगों की व्याख्या करने के लिए उपयोग किया जाता है जो 18 वर्ष की उम्र से पहले विवाह करते हैं या संबंध स्थापित करते हैं, और उनके संदर्भ की कोई परवाह नहीं की जाती, न ही उनकी परिस्थितियों, स्वायत्तता, और चुनावों का सम्मान किया जाता है। इस मुद्दे को संबोधित करने वाले किसी भी संवाद या गतिविधि में, 18 वर्ष से कम उम्र में विवाह करने वाले या संबंध स्थापित करने वाले किशोरों और युवाओं की स्थिति, ज़रूरतों और आवश्यकताओं पर और अधिक ध्यान देना ज़रूरी है।

12. **सतत विकास लक्ष्य** जिनका उद्देश्य बाल, जल्द एवं जबरन विवाह तथा संबंधों को समाप्त करना है, का स्वागत है, लेकिन उसका **उम्र–केंद्रित नजरिया** उम्र–केंद्रित राष्ट्रीय और परियोजनात्मक प्रतिक्रियाएं तथा सफलता के मापदंड प्रेरित कर सकता है। यह संभवतः लड़कियों और युवाओं के सशक्तिकरण के प्रयासों और संकेतंकों में निवेश की कीमत पर प्राप्त होगा।

13. राष्ट्रीय सरकारें, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका रखने वाले – **वित्तपोषक, यू.एन. एजेंसियाँ, अंतर्राष्ट्रीय गैर–सरकारी संस्थाएँ व अन्य के लिए ज़रूरी है कि वे अपव्याख्यावाद, संरक्षणात्मक दृष्टिकोण से हट कर सी.ई.एफ.एम.यू. की प्रेरक शक्ति के रूप में जेंडर समानता को संबोधित करने के लिए ठोस प्रयास करें।** लड़कियों और युवाओं की स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों, और आजीविका के अवसरों तक पहुँच बढ़ाने में निवेश करें; उनकी आवाज़, नज़रिए, और प्राथमिकताओं को निर्णय–प्रणाली में केंद्रीय जगह दें; युवाओं की सहभागिता से पितृसत्तात्मक जेंडर मानदंडों, जो कि समाज में लड़कियों और महिलाओं के स्तर को घटाते हैं, को बदलने के लिए काम करें। जब तक हम मूल कारणों को संबोधित नहीं करेंगे, तब तक हम कानून और नीतियाँ बनाने के निष्फल चक्र में फंसे रहेंगे, जो उन समस्याओं का कोई समाधान नहीं करतीं, जिनका हम हल निकालना चाहते हैं।

और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें **Sgreen@ajws.org** या **Anne-Sprinkel@care.org**

संयोजन व आयोजन : द चाइल्ड, अर्ली एण्ड फोर्स्ड मेरिज एण्ड सेक्शूऐलिटी वर्किंग ग्रुप, और अन्य सहयोगी।

American Jewish World Service · care · crea · EMpower · Global Fund for Women – Champions for Equality · Girls First Fund · Girls Not Brides – The Global Partnership to End Child Marriage · GreeneWorks – Social change for health & development · ICRW – International Center for Research on Women – Passion. Proof. Power. · International Women's Health Coalition · MADRE – fighting for feminist futures · nirantar trust – A Centre for Gender and Education · PLD – Partners For Law In Development · Plan International · Population Council – Ideas. Evidence. Impact. · Promundo · resurj – Realizing Sexual and Reproductive Justice · the yp foundation

***वर्किंग ग्रुप** में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ शामिल हैं जो किशोरियों के अधिकारों और मिलने वाले अवसरों को बढ़ावा देने के लिए उनके साथ और उनके लिए काम करती हैं। हम बाल, जल्द एवं जबरन विवाहों और संबंधों को बढ़ावा देने वाले किशोरियों और युवतियों की यौनिकता पर पितृसत्तात्मक नियंत्रण के अक्सर नज़रंदाज़ कर दिए जाने वाले मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए विभिन्न संसाधन तैयार करते हैं और पैरवी करते हैं।